संख्या- **853** /2026/2302/22-2-2025-17(326)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोधे पुत्र श्री जगायन, निवासी जनपद-महाराजगंज की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0/ बैठक-दिनांक 11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोधे पुत्र श्री जगायन, ग्राम-किशनपुर, थाना-टुड्डी बाजार, जनपद-महाराजगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 15/16.09.1998 की रात्रि को अर्जुन(उम्र-06 वर्ष) के साथ गलत काम करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-141/1999 में धारा-302,377,201 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, स्पेशल जज (ई०सी०एक्ट), रामपुर के दण्डादेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.05.2011 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 11.10.2025 तक बन्दी द्वारा अपरिहार 27 वर्ष, 14 दिन तथा 34 वर्ष, 02 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 11.10.2025 तक बंदी की आयु 44 वर्ष, 04 माह, 05 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सोधे श्री जगायन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुर्नविचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 11.10.2025 के अनुसार बन्दी की 44 वर्ष, 04 माह की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (अर्जुन उम्र-06 वर्ष के साथ गलत काम करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोधे(बन्दी संख्या-48868) पुत्र श्री जगायन, निवासी जनपद-महाराजगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- **853**/2026/2302(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।